



उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता-वाराणसी वृत्त

आफिस कम शापिंग काम्प्लेक्स, द्वितीय तल

जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी-221010

E-Mail:circle1@upavp.com



पत्र सं०:- 245 / M-11 / दिनांक- 12-2-24

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के सुसंगत (श्रेणी-बी) में पंजीकृत अनुभवी /विशेषज्ञ ठेकेदारों/फर्मों से स्पर्धात्मक ई-निविदाये टू-बिड पद्धति पर जनपद-मऊ के प्रोजेक्ट अलंकार के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा की तकनीकी विड निम्न तालिका के अनुरूप अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-वाराणसी-03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आजमगढ के कार्यालय में फर्मों/ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। परीक्षणोपरान्त तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं का वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि व समय पृथक से सूचित किया जायेगा।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (₹0लाख में)	धरोहर धनराशि (₹0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार/फर्म हेतु ई-निविदा डाउनलोड प्रारम्भ होने तथा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	वित्तीय बिड खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राजकीय उ0मा0वि0 नदवल घोसी, राजकीय उ0मा0वि0 मुजार बुजुर्ग बडराव व राजकीय उ0मा0वि0 बहरामपुर के फिजिक्स कमेस्ट्री लैब मल्टीपर्पज हाल एवं लाईब्रेरी के निर्माण कार्य	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	147.76	2.96	4500.00+ 18%GST=5310	06 माह	दिनांक 17.02.2024 को 17.00 बजे से दिनांक 28.02.2024 को 11.00 बजे तक	दिनांक 28.02.2024 को 13.00 बजे	तकनीकी बिड खोलने के उपरान्त अवगत करायी जायेगी
2	पं0दी0द0 इ0का0 कटिहारी एवं राजकीय उ0मा0वि0 बेला कसेला के वाटर सप्लाई फिजिक्स कमेस्ट्री लैब मल्टीपर्पज हाल एवं लाईब्रेरी के निर्माण कार्य	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	107.68	2.15	4500.00+ 18%GST=5310	06 माह	दिनांक 17.02.2024 को 17.00 बजे से दिनांक 28.02.2024 को 11.00 बजे तक	दिनांक 28.02.2024 को 13.00 बजे	तकनीकी बिड खोलने के उपरान्त अवगत करायी जायेगी
3	राजकीय उ0मा0वि0 सुल्तानीपुर, राजकीय उ0मा0वि0 भोपतपुर सुतरही के वाटर सप्लाई एवं मल्टीपर्पज हाल के निर्माण कार्य	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	83.26	1.67	3000.00+ 18%GST=3540	06 माह	दिनांक 17.02.2024 को 17.00 बजे से दिनांक 28.02.2024 को 11.00 बजे तक	दिनांक 28.02.2024 को 13.00 बजे	तकनीकी बिड खोलने के उपरान्त अवगत करायी जायेगी
4	राजकीय बालिका इण्टर कालेज मऊ व राजकीय कन्या उ0मा0वि0 रकौली के वाटर सप्लाई, शौचालय ब्लाक, फिजिक्स कमेस्ट्री लैब, बायोलाजी लैब, मल्टीपर्पज हाल एवं लाईब्रेरी के निर्माण कार्य।	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	164.07	3.28	4500.00+ 18%GST=5310	06 माह	दिनांक 17.02.2024 को 17.00 बजे से दिनांक 28.02.2024 को 11.00 बजे तक	दिनांक 28.02.2024 को 13.00 बजे	तकनीकी बिड खोलने के उपरान्त अवगत करायी जायेगी
5	राजकीय उ0मा0वि0 देवदह मऊ व राजकीय हा0स्कूल जमदरा रतनपुरा के बायोलाजी लैब मल्टीपर्पज हाल एवं लाईब्रेरी के निर्माण कार्य	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	119.02	2.38	4500.00+ 18%GST=5310	06 माह	दिनांक 17.02.2024 को 17.00 बजे से दिनांक 28.02.2024 को 11.00 बजे तक	दिनांक 28.02.2024 को 13.00 बजे	तकनीकी बिड खोलने के उपरान्त अवगत करायी जायेगी
6	राजकीय उ0मा0वि0 अईलख, रतनपुरा व राजकीय उ0मा0वि0 गाढा के फिजिक्स, कमेस्ट्री लैब, मल्टीपर्पज हाल एवं लाईब्रेरी के निर्माण कार्य	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	123.23	2.47	4500.00+ 18%GST=5310	06 माह	दिनांक 17.02.2024 को 17.00 बजे से दिनांक 28.02.2024 को 11.00 बजे तक	दिनांक 28.02.2024 को 13.00 बजे	तकनीकी बिड खोलने के उपरान्त अवगत करायी जायेगी


ई-निविदा हेतु शर्तें -

- निविदा की प्रोसेसिंग का मूल्य धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अलग-अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है:-
Name of A/C Holder : Executive Engineer, UP Avas Evam Vikash Parishad,
Nirman Khand Varanasi- 03 , Azamgarh.
A/C No. : 09550100031186
IFSC Code : BARBOAZAMGA
Name of Bank : Bank of Baroda , Damodar Chauk, Azamgarh.
- निविदा प्रपत्र/ धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर0टी0जी0एस0 का यूटीआर के नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जायेगा।
- निविदा वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध रहेगी। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/ फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
- निर्माण कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले खनिजों की रायल्टी के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
- निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/ फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/ फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर कार्यस्थल का अवलोकन कर लें। निविदा स्वीकृत उपरान्त कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे एवं उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रु0 10/- के नान ज्यूडिशियल शपथ पत्र स्टैम्प पेपर पर देना होगा।
- निविदादाताओं/ फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-03, आजमगढ के पक्ष में बंधक हो, जमा करनी होगी।
- अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/ फर्म सक्रिय रूप में माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
- निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुये धरोहर धनराशि जब्त करते हुये फर्म का नाम काली सूची में डाला जायेगा।
- निविदादाता द्वारा फर्म का वाणिज्यकर विभाग में जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा उनके सभी देयकों से सभी प्रकार के टैक्सों जैसे जी0एस0टी0, आयकर, लेबरसेस आदि जो उ0प्र0 सरकार द्वारा लागू किया जाता है, से सम्बन्धित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदाये अगले कार्य दिवसों को खोली जायेगी।
- शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष होगी एवं कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यों की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
- समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/ परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
- जी0पी0डब्लू0 फार्म-9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए एवं बार चार्ट संलग्न किया जाना होगा। प्रगति आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/ फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- निविदा की दर कम या अधिक (below or above) अंकित न होने पर निविदा की दर कम (below) दर के मान्य होगी एवं शासनादेश सं0-522/23-12-2012-2 आडिट/08 टि0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 में below दर होने पर ठेकेदार द्वारा (performance security deposit) अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।

(अ) 10% below दर तक 0.50% प्रति 1.00% कम below दर के लिए।

(आ) 10% से अधिक below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम below दर के लिए।


18. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदाये बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
19. परियोजना को सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित कराने का दायित्व अनुबन्धक का होगा। अनुबन्ध के अन्तिम देयक का भुगतान परियोजना के हस्तान्तरित करने के पश्चात ही किया जायेगा।
20. प्रत्येक निविदा के साथ रु0 100/-के स्टैम्प पेपर पर रु0 1.00/- का रसीदी टिकट लगा कर दरों को वैधता 90 दिन तक वैध है हेतु निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
21. ऐसी फर्मों जो परिषद में रजिस्टर्ड हैं, निविदा में प्रतिभाग करने पर उनको जर्नल सिक्योरिटी के सम्बन्ध में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।
22. निविदादाता द्वारा दी गयी दर 1% लेबर सेस सहित मानी जायेगी।
23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
24. वित्तीय बिड कार्यालय अधिशासी अभियन्ता. निर्माण खण्ड वाराणसी-03, आजमगढ उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ब्रह्मस्थान आजमगढ में खोली जायेगी जिसकी तिथि व समय ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से अवगत करायी जायेगी।
25. निविदा के नियमों व शर्तों के सम्बन्ध में निविदादाताओं को स्थित स्पष्ट किये जाने हेतु उनकी एक प्री-बिडिंग बैठक दिनांक 19.02.2024 को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता. निर्माण खण्ड वाराणसी-03, आजमगढ उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ब्रह्मस्थान आजमगढ के सहायक अभियन्ता कक्ष में अपरान्ह 12.00 बजे आयोजित की जायेगी।


(के0सी0 श्रीवास्तव)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0-245 / एम-11/ दिनांक - 12 - 2 - 24

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-निदेशक ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 2-इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को परिषद वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 3-अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-वाराणसी-03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आजमगढ।
- 4-कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता